



2026:AHC:126303

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 482 भारतीय नागरिक सुरक्षा

संहिता संख्या - 5008 वर्ष 2026

शमशाद उर्फ मन्नान और 2 अन्य

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

....विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता :

ब्रह्मा नंद सिंह

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता :

शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 7

माननीय न्यायमूर्ति जय प्रकाश तिवारी

1. आवेदक(गण) के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना और अभिलेख का परिशीलन किया।
2. आवेदक(गण) धारा 287, 316(3), 305(बी), 317(2), 317(4), 61(2), 112 भारतीय न्याय संहिता, धारा 23 पेट्रोलियम अधिनियम 1934, धारा 8 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 और धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, के तहत मुकदमा अपराध संख्या 127 वर्ष 2026 पुलिस स्टेशन अली नगर जिला चंदौली में लिप्त हैं।
3. आवेदक(गण) के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि आवेदक निर्दोष है और वर्तमान मामले में उसे झूठा फंसाया गया है। यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि आवेदक(गण) का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में नहीं था।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



आवेदक(गण) के कब्जे से कुछ भी बरामद नहीं हुआ है। सह-आरोपी चंद्रमा चौहान, को आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता संख्या 3753 वर्ष 2026 में इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा 22.04.2026 के आदेश के तहत अग्रिम जमानत दी गई है। वर्तमान आवेदन के साथ दायर शपथपत्र में आवेदक(गण) के आपराधिक इतिहास के बारे में वर्णन किया गया है। इसके बाद यह प्रस्तुत किया जाता है कि आवेदक(गण) को उपर्युक्त मामले में किसी भी समय पुलिस द्वारा गिरफ्तारी की आशंका है, जबकि उसके विरुद्ध कोई विश्वसनीय साक्ष्य नहीं है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा कर दिया जाता है, तो वह स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और विवेचना/विचारण में सहयोग करेगा।

4. इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने अग्रिम जमानत के लिए प्रार्थना का विरोध किया।

5. सुशीला अग्रवाल और अन्य बनाम राज्य (दिल्ली का एनसीटी) और अन्य (2020) 5 एससीसी 1 में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस विषय पर विधि को अंतिम रूप से धारित किया गया है कि अग्रिम जमानत की सीमित अवधि हमेशा के लिए आवश्यकता नहीं है। उपर्युक्त मामले में, यह विचारण के निष्कर्ष तक जारी रह सकता है। इसमें आगे यह धारित किया गया है कि अभियुक्त के आचरण और व्यवहार के आधार पर दी गई अग्रिम जमानत विचारण तक आरोप पत्र दाखिल करने के बाद जारी रह सकती है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा आगे यह धारित किया गया है कि अग्रिम जमानत प्रदान करने के लिए एक आवेदन पर विचार करते समय, न्यायालय को अपराध की प्रकृति, व्यक्ति की भूमिका, उसके द्वारा विचारण की कार्यवाही को प्रभावित करने की संभावना, या साक्षियों को डराने सहित साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़, न्याय से भागने की संभावना, जैसे कि देश छोड़ने पर विचार करना होगा, इत्यादि। यह भी धारित किया गया है कि न्यायालयों को आम तौर पर अपराधों की प्रकृति और गंभीरता,

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



आवेदक को, जिम्मेदार ठहराया गया भूमिका और मामले के तथ्यों जैसे विचारों से निर्देशित किया जाना चाहिए, जबकि इस बात पर विचार किया जाना चाहिए कि अग्रिम जमानत दी जाए या इसे अस्वीकार किया जाए। अनुमति देना है या नहीं देना यह विवेक का मामला है।

6. अग्रिम जमानत, आरोप की प्रकृति, आवेदक की भूमिका और मामले के सभी उपस्थित तथ्यों और परिस्थितियों के संबंध में विधि के सुस्थापित सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मेरे विचार में, यह विचारण के समाप्ति तक आवेदक को अग्रिम जमानत के लिए एक उपयुक्त मामला है।

7. तदनुसार आवेदन को स्वीकृति दी जाती है।

8. आवेदक(गण)- शमशाद @ मन्नान, दिलशाह @ दिलशाद @ कल्लू, नजफ आजाद खान @ नज़ब अज़फ को इस आदेश की एक प्रति के साथ आज से 15 दिनों की अवधि के भीतर संबंधित विवेचना अधिकारी/न्यायालय के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया जाता है, और संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए समान राशि में दो-दो प्रतिभू के साथ व्यक्तिगत बंधपत्र प्रस्तुत करना होगा। और उसे निम्नलिखित शर्तों के अधीन विचारण के निष्कर्ष तक अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाएगा:-

- (i) आवेदक मामले में निर्धारित दिनांक पर संबंधित विवेचना अधिकारी/न्यायालय के समक्ष स्वयं को उपलब्ध कराएंगे और विवेचना/विचारण में सहयोग करेंगे।
- (ii) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेंगे ताकि उसे न्यायालय या किसी पुलिस कार्यालय में ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके।
- (iii) आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेंगे और यदि उनके पास पासपोर्ट है, तो उसे उसके द्वारा संबंधित एस.एस.पी./एस.पी. के समक्ष जमा करना होगा।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



9. किसी भी शर्त के उलंघन के मामले में, यह आवेदक को दी गई सुरक्षा को रद्द करने का आधार हो सकता है।

(माननीय न्यायमूर्ति जय प्रकाश तिवारी)

आदेश दिनांक: जून 9, 2026

एस.के.

Translated version, Not for Legal Use.

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।
सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।